New Man International Journal of Multidisciplinary Studies
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

27.

महिला स्व–सहायता समूह से ग्रामीण विकास
(सागर जिले कें विशेष संदर्भ में)

डॉ. राजकुमार ठाकुर
वाणिज्य विभाग
सवई महेन्द्र शासकीय स्नाकोत्तर महाविधालय टीकमगढ़ (म.प्र.)
मोबा. – 9301662407

सारांशः

स्वंतत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसे तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिये तत्कालीन समय में प्रचलित विकास की पूंजीवादी और समाजवादी अवधारणा के मिश्रण का प्रयोग कर विकास के लक्ष्य हासिल करने का प्रयत्न किया गया था। इसके अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि , उधोग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के साथ–साथ विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया एवं इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की इन उपलब्धियों के बाद आज भी ऐसी अनेक चुनौतियां है जिनसे उबरना सहज नहीं हैं। गरीबी तथा बेरोजगारी इनमें सर्वप्रमुख है। गरीबी उन्मूलन जैसी गम्भीर चुनौती का सामना करने के लिये एक अभिनव प्रयोग पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में किया गया जिसे ''स्व–सहायता संमूह'' जैसा विशिष्ठ नाम दिया गया। भारत में भी इस योजना को लागू कर गरीबी के विरूद्ध संघर्ष का एक नवप्रयोग किया गया है। ''इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के साथ ही इससे हमारी महिलाओं में उद्यमशीलता, कर्मठता एवं सामूहिकता की भावना जागृत होगी। उनमें व्याप्त समस्याओं, निरक्षता, रूढिवादिता, परम्परावादिता आदि को दूर करने में सहयोग प्राप्त होगा। अतः स्व–सहायता समूहों की सफलता के द्वारा गाँवों में आत्मनिर्भरता का गांधी जी का सपना साकार हो सकता है तथा देश के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होकर टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यह योजना विभिन्न आयामों के लिए प्रसिद्धि पा रही है। बचत एवं लघु वित्त के साथ रोजगार सृजन जहॉ योजना का ध्येय है वही वे महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम है। महिला स्व–सहायता समूह प्रजातांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं में समानता, सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय शालाओ में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था महिला स्व–सहायता समूहों को दिया जाना एवं सहकारिता की उचित मूल्य की दुकान का समूह द्वारा संचालित होना इस बात का द्योत्तक है, कि महिला स्व–सहायता समूह योजना गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास की दिशा में एक सफल योजना के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है।

Keywords: महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान, आत्मनिर्भरता, सहभागिता, आजीविका, उद्यम, समानता, ग्रामीण विकास, गरीबी, बेरोजगारी।

परिचय

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक संवृद्धि के लिये एक सुदीर्ध, समविन्त एवं नियोजित प्रयत्न आवश्यक होते है। भारत जैसे विशाल तथा भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में आर्थिक विकास की चुनौती और भी जटिल हो जाती है। अपने ग्रामिण परिवेश कर विशिष्टता के कारण भारत में विकास की अवधारणा के कियान्वयन की व्यूह रचना सामान्य से भिन्न होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्र की ऐतिहासिक परिस्थितियॉ, राजनैतिक घटना क्रंम और सामाजिक वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है । ये तत्व विकास की विविध बाधाओं को उत्पन्न भी करते है तथा उन बाधाओ को पार

करने की शक्ति का संचार भी करते है। आधुनिक समय में हो रहे ज्ञान–विज्ञान के विस्तार ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए है। विकास प्रकिया के द्वारा जहॉ व्यक्ति के जीवन स्तर को उन्नत करने में सहायता मिलती है वहीं विकास जनित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है स्वंतत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसे तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिये तत्कालीन समय में प्रचलित विकास की पूंजीवादी और समाजवादी अवधारणा के मिश्रण का प्रयोग कर विकास के लक्ष्य हासिल करने का प्रयत्न किया गया था। इसके अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि , उधोग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के साथ–साथ विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया एवं इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की इन उपलब्धियों के बाद आज भी ऐसी अनेक चुनौतियां है जिनसे उबरना सहज नहीं हैं। गरीबी तथा बेरोजगारी इनमें सर्वप्रमुख है। भारत जैसे विकासशील देश में जब विकास के अनेक प्रतिमान हासिल कर गरीबी और बेकारी का संकट कम नहीं हुआ तब इनके विरूद्ध संघर्ष के लिए अनेक योजना और कार्यक्रम चलाये और इनके माध्यम से इन समस्या की तीव्रता को निंयत्रित करने में सफलता अवश्य मिली परन्तु इनसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नही हो सका, तब 20 वीं सदी के अंतिम दशक में तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थिति के अनुकूल नई आर्थिक नीति अपनाई गई और लगभग पॉच दशकों की विकास प्रकिया में व्यापक बदलाब आरम्भ किये गए। यह विडम्बना ही है कि इन नीतियों को अपनाने पर भी भारत सहित विश्व के सभी विकासशील राष्ट्र कमोवेश विकास के साथ–साथ गरीबी और बेकारी के निरन्तर नये स्वरूप का सामना कर रहे है। अब विश्व के विभिन्न भागों में इन्हे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक गम्भीर समस्या के रूप में पहचाना गया है। इन दोनों महत्वपूर्ण समस्याओं के सम्बन्ध में जो भी प्रयोग हो रहे है उनकी समीक्षा मूल्यांकन कर उन्हे गुणवत्ता के आधार पर अपनाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन जैसी गम्भीर चुनौती का सामना करने के लिये एक अभिनव प्रयोग पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में किया गया जिसे ''स्व–सहायता संमूह'' जैसा विशिष्ठ नाम दिया गया। भारत में भी इस योजना को लागू कर गरीबी के विरूद्ध संघर्ष का एक नवप्रयोग किया गया है। शोध आलेख में सागर जिले के महिला स्व–सहायता समूह से ग्रामिण विकास का व्यापक विश्लेषण और मूल्यांकन करना आज समय की मांग है।

स्व–सहायता समूह योजना का परिचयः

स्व–सहायता समूह स्थानीय स्तर पर समान प्रकार के 10 से 20 लोगों का ऐसा समूह होता है जो सामान्यतः एक ही स्थान के रहने वाले होते है तथा उनकी आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं में समानता होती है। ''ये समूह समान प्रकार के लोगों विशेषकार महिलाओ के वे समूह है जिसके सदस्य स्वेच्छा से इनकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धातों के आधार पर बचत व साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत करते है।'' स्थानीय समुदाय की विविध आवश्यकताओं जैसें दैनिक जीवन की आश्यकताएँ, छोटे–छोटे ऋणो की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, आय वृद्धि, पारम्परिक पेशे को समृद्ध करना, पर्यावरण एवं समाज से जुड़े अन्य मानवीय पहलुओं को इन स्व–सहायता समूहों के माध्यम से पूरा करने की अवधारणा है।

समूह को सस्थांगत रूप देने के लिए समूह के सभी सदस्य नियमित रूप से अपनी आय का कुछ भाग देकर समूह की बचत का निर्माण करते है। यह बचत आगे चलकर समूह की शक्ति बन जाती है। समूह द्वारा सदस्यों को समय–समय पर उनकी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण दिया जाता है। समूह की आय बढानें के लिए सदस्यों को दिये गयें ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज लेने कि व्यवस्था

भी होती है। ऋण वापसी का स्वरूप समूह निश्चित करता है। यह ऋण एक मुश्त या किस्तों में हो सकता है। समूह गतिविधियों का पूर्ण लेखा–जोखा रखा जाता है और उसे स्व–सहायता समूह अपनी नियमावली बनाकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करता है। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक हो तो समूह अधिक सफल और निरन्तर कार्यशील होगें। ऐसा इसलिए क्योकिं एक तो महिलाओं की पुरूषों की अपेक्षा बचत करने की प्रवृति अधिक होती है तथा दूसरा उनमें आपसी समन्वय की अधिक संभावना होती है। महिलाएँ चूँकि परिवारिक एवं सामाजिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है इसलिए समूह में महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक अंग माना गया है। इस मान्यता के आधार पर ही इन समूहों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के साथ–साथ महिला सशक्तीकरण के साथ उन्हें बराबर का दर्जा देने के लक्ष्य का संधान भी करने का संकल्प है।

विषय का महत्वः

भारत में अब तक चलाए जा रहें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सीमित सफलता तथा बंगलादेश के अनुभवों से अभिप्रेरित होकर प्रांरभ किए गए स्व–सहायता समूह योजना की संकल्पना अभिनव है तथा यह गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर उपाय हो सकती है। स्व–सहायता समूह योजना का यह विचार मूलतः पड़ौसी बांग्लादेश से आया। ''बांग्लादेश विश्व के सबसे गरीब और अल्पविकसित देशों में गिना जाता है और इसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय करीब 254 अमेरिकी डालर के बराबर है। ग्रामिण क्षेत्रों में आधी से अधिक आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। ऐसी हालत में बांग्लादेश सरकार ने गरीबी की समस्या दूर करने के लिए बहुआयामी रणनीति और कार्यक्रमों की शुरूआत की।'' गरीबी और बेकारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्व–सहायता समूह के विचार को सर्वप्रथम यही प्रयोग में लाया गया। इस विचार के प्रणेता मो. यूनुस को वर्ष 2006 का नोबल शांति पुरूस्कार भी मिला है। मूलतः यह अनुभव किया गया कि शासकीय योजनाओं से मिलने वाली सहायता का स्वरूप छोटा होने के साथ–साथ यह व्यक्तियों विशेषकर गरीब जनता में न तो समन्वय पैदा करता है और न विश्वास। ''इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के साथ ही इससे हमारी महिलाओं में उद्यमशीलता, कर्मठता एवं सामूहिकता की भावना जागृत होगी। उनमें व्याप्त समस्याओं, निरक्षता, रूढिवादिता, परम्परावादिता आदि को दूर करने में सहयोग प्राप्त होगा। वे जागरूक होगी और इसके फलस्वरूप विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित होकर सम्पूर्ण समाज का कायाकल्प करने की स्थिति में होगी। यह सत्य है कि जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होगी तो वे स्वयं अपने परिवार को एवं भावी पीढ़ी की दशा में सुधार लाएगी और अपने सामाजिक, आर्थिक स्तर में परिवर्तन लाने में पूर्ण सहयोगी बनेगी।''

स्व–सहायता समूह बचत के साथ आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी देता है और समूह के माध्यम से अपने परिवार के बारे में ही नहीं वरन पूरे गांव में सुधार का प्रयास होता है। अतः स्व–सहायता समूहों की सफलता के द्वारा गाँवों में आत्मनिर्भरता का गांधी जी का सपना साकार हो सकता है तथा देश के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होकर टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ''आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की मुखिया महिलाएँ है, अतः राजनैतिक सशक्तिकरण के साथ–साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में स्व–सहायता समूह की महती भूमिका है।''

सागर जिले का सामान्य परिचयः

सागर जिले में 9 तहसीले, 11 विकास खण्ड और 17 नगर है जिले में कुल 2076 ग्राम है जिनमें से 1901 आबाद ओर 2059 राजस्व ग्राम है। यहाँ 11 जनपद पंचायतें और 760 ग्राम पंचायतें है। ग्राम बाहुल्य एवं औधोगिक दृष्टि से पिछड़े इस जिले में कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां ही रोजगार का प्रमुख स्त्रोत है। जिले में बडे और माध्यम उद्योगों का अभाव है। बीड़ी तथा अगरबत्ती जैसे कुटीर उद्योगों में ही जिले के श्रमिकों को अधिकांश रोजगार मिलता है। जिले में बेकारी, निर्धनता, ऋण ग्रस्तता, अस्पृश्यता, जनसंख्या बृद्धि के साथ अन्य सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याऍ भी है। जिले के गॉवो की विभिन्न समस्याओं में निर्धनता की समस्या का स्वरूप सबसे जटिल है। अतः इस दिशा में स्व–सहायता समूह योजना एक कारगर पहल हो सकती है।

शोध प्रविधि एवं समग्रः

आर्थिक विषयों के अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्वतियो का प्रयोग कर निष्कर्षो में क्रमबद्धता, वास्तविकता व पारदिर्शिता बनी रहे। शोध पत्र में सागर जिले के 11 विकासखण्डों में 2021 महिला स्व–सहायता समूहों को समग्र मानकर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। यह द्वितीयक समंक जिला पंचायत सागर द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर है जिसमें योजना प्रारंम्भ वर्ष 1999 से वर्ष 2013 तक है। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त संमको का विश्लेषण कर सामान्य साख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर किया गया है।

तालिकाः समग्र का स्वरूप

क्र	वर्ष	वर्ष में निर्मित महिला समूह	कुल महिला समूह
1	1999–2000	48	48
2	2000–2001	332	380
3	2001–2002	300	680
4	2002–2003	20	700
5.	2003–2004	65	765
6	2004–2005	16	781
7.	2005–2006	53	834
8.	2006–2007	33	867
9.	2007–2008	124	991
10.	2008–2009	514	1505
11.	2009–2010	147	1652
12.	2010–2011	155	1817
13.	2011–2012	204	2012
14.	2012–2013	0	2021

स्त्रोतः जिला पंचायत सागर द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन (फार्मेट–2) के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है योजना का प्रारम्भ वर्ष 1999–2000 में 48 महिला स्व–सहायता समूह का गठन किया गया। वर्ष 2000–01 में यह संख्या 332 हो गयी जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 7 गुना वृद्वि हुई। योजना प्रारभ के दूसरे ही वर्ष से जिले की महिला में समूह निर्माण में काफी उत्साह व आत्म विश्वास दिखा। वर्ष 20001–02 में 300 समूह निर्माण के साथ स्थिति सामान्य रही लेकिन वर्ष

2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07 में महिला स्व–सहायता समूह निर्माण दर संक्रमण काल में गुजरा इन वर्षों से क्रमश 20,65,16,53 व 33 समूह ही निर्माण हुये जो कि यह योजना का नकारात्मक संकेत देते है। इन वर्षों में निर्माण की दर कम होने का यह भी कारण रहा है क्योकि योजना प्रारम्भ से लक्ष्यो की पूर्ति प्रेरकों द्वारा समूह के सदस्यों में मार्गदर्शन की कमी, समूह निर्माण में बहुत सी विसंगतियो के कारण यह काल संक्रमण काल सें गुजरा फिर एक नई ऊर्जा के साथ वर्ष 2007–08 में 124 समूह जो 2006–07 तक कुल समूहो 867 का 14.3 प्रतिषत रहा। वर्ष 2008–09 में योजना नई ऊर्जा के साथ उत्साह का संचार दिखा तथा 514 महिला समूहो का निर्माण कर योजना प्रारम्भ से आज तक के वर्षो में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। वर्ष 2008–09 की यह संख्या योजना की सफलता का संकेत देते हैं कि महिलाओ में जागरूकता व महिला सशक्तिकरण जैसी भावना का उदय हुआ है। वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 में फिर क्रंमश 147,155,204 महिला स्व– सहायता समूह का निर्माण हुआ व निर्माण की संख्या में वर्ष 2008–09 की अपेक्षा काफी कम दर्ज हुई। जिले में गरीबी के विरूद्ध संघर्ष की इस लड़ाई में महिला पूर्व के वर्ष से सशक्त हो गयी और अपने आर्थिक एवं ग्रामीण विकास में योगदान दिया।

समस्याएँ–

सागर जिले में महिला स्व–सहायता समूह के मूल्यांकन पर शोध आलेख के दौरान अनेक ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया गया जो महिला स्व–सहायता समूह के क्रियान्वयन एवं संचालन में अवरोध बन रही है। अनुभव के आधार पर योजना के सम्बन्ध में अनेक समस्याएँ प्रकट हुई वे निम्न है।

— आपसी विश्वास की समस्या।
— सदस्यों में सहयोग व एकता का अभाव।
— शिक्षा का अभाव।
— वर्ण भेद व रूढ़िवादिता की समस्या।
— उत्पादित माल के विपणन की समस्या।
— विपणन के लिए विज्ञापन एवं मध्यस्थ एजेन्सी का अभाव।
— बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने की समस्या।
— बैंक द्वारा पर्याप्त मार्गदर्शन का अभाव।
— समूह की नियमित बैठकों व बचत जमा न होना।
— समूहों का प्रशिक्षणों का अभाव।
— आर्थिक गतिविधियों के चुनाव की समस्या।
— उद्यमी वर्ग की कमी।
— लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव।
— स्थानीय प्रेरकों का अभाव।
— वित्तीय अभिलेखों के संधारण की समस्या।

निष्कर्ष:

गॉधी जी ने महिलाओं में निहित शक्ति ओर उसकी महत्ता का जो मानवीयकरण किया वह अपने आप में एक पवित्र उदाहरण है। जब गॉधी जी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तब भारतीय नारी वह वात्सल्यमयी मॉ अथवा गृह लक्ष्मी के रूप में हमारे पारिवारिक जीवन का आधारस्तंभ थी, परन्तु उसकी लोकोपकारी शक्ति का उदय महात्मा गांधी के ही सद्प्रयासों से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार

द्वारा महिलाओं की स्थिति को उन्नत बनाने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई। महिलाओं के लिये स्वरोजगार पर विचार करते समय उन महिलाओं की ओर ही अधिक ध्यान जाता है जो खदानों में काम करती है, गलियों में चाकू–छुरिया ओर सब्जियाँ बेचती हैं, भवन निर्माण और खेत–खलिहान में अपनी आजीविका के लिए कठोर श्रम करती हैं, ये सभी कार्य महिलाओं तथा उनके परिवार की आजीविका के लिए भले ही उपयोगी हो परन्तु वे आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नही करते।

स्व–सहायता समूह योजना गरीबी के विरूद्व अनूठा संघर्ष है। एक निश्चित समय सीमा के भीतर गरीबी रेखा को पार करने के उददेश्य से उद्यम की सफलता के लिए उद्यमी में आवश्यक कार्य कौशल होना चाहिए। यह योजना विभिन्न आयामों के लिए प्रसिद्धि पा रही है। बचत एवं लघु वित्त के साथ रोजगार सृजन जहॉ योजना का ध्येय है वही वे महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम है। महिला स्व–सहायता समूह प्रजातांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं में समानता, सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। सागर जिले में महिला स्व–सहायता समूह से ग्रामीण विकास हेतु जिले के कुल 2021 समूहों को द्वितीयक समंक के रूप में प्रयोग किया तथा इन में से कुछ समूहो के सदस्यों से व्यक्तिगत चर्चा भी की। समूहों में अपनी बचत और संचालन गतिविधियों नियमित सभाएँ होना, सभा में उपस्थिति विवादों के निपटारे आदि की दृष्टि से सफल कहे जा सकते है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय शालाओ में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था महिला स्व–सहायता समूहों को दिया जाना एवं सहकारिता की उचित मूल्य की दुकान का समूह द्वारा संचालित होना इस बात का द्योत्तक है, कि महिला स्व–सहायता समूह योजना गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास की दिशा में एक सफल योजना के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है।

सुझावः

सागर जिले में महिला स्व–सहायता समूह के क्रियान्वयन से संचालन और आर्थिक गतिविधियों तक जोडनें हेतु प्रस्तुत शोध आलेख में चर्चा, सर्वेक्षण एवं द्वितीयक समंक के द्वारा विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया गया। स्व–सहायता समूह योजना की मूल भावना अपने नाम के अनुरूप समूह के बीच आपसी विश्वास ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ संचालन किया जाना चाहिए। सदस्यों को नियमित बैठकों, बचत के लिए स्थानीय प्रेरकों के माध्यम से प्रेरित किया जाये तो समूह की दीर्धआयु होगी। आर्थिक गतिविधियों से जोड़ें जाने वाले समूह को अपने क्षेत्र के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए जिससे उसे कच्चा माल सुगमता व कम मूल्य में प्राप्त हो जाये। क्योकि समूह द्वारा निर्मित वस्तु की लागत बाजार में उपलब्ध वस्तु से कम रहे तथा विक्रय करने में सुविधा हो, मध्यप्रदेश शासन स्व–सहायता समूहों को शासकीय योजनाओं से जोड़कर एक सराहनीय कदम उठाया है यदि और भी योजनाओं से समूहों को जोड़ते हैं, तो निसंदेह ही महिला स्व–सहायता समूह से ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भः–

1. मध्यप्रदेश पंचायिकाः पंचायतों की मासिक पत्रिका, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स भोपाल 462011।
2. स्व–सहायता समूहः गठन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) भोपाल 2000 पृ–1।
3. दिशा–निर्देशः स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

4. श्रीवास्तव रत्नाः ''स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं महिला विकास'' योजना (पत्रिका) योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली, अक्टूबर 2000 प्र. 36।
5. डॉ. महीपालः ''पंचायत में महिलाएँ अगला कदम'' समाज कल्याण पत्रिका, अगस्त–सितम्बर 1997, पृ.– 40।
6. समाज कल्याणः समाज कल्याण भवन बी–12, तारा क्रिसेट इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
7. योजनाः कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
8. शर्मा मधुः ''नारी शक्ति के प्रथम प्रणेता'' समाज कल्याण (पत्रिका) समाज कल्याण भवन, बी–तारा क्रिसेट इंस्टीट्यूषनल एरिया, नई दिल्ली, 110016 जुलाई 1997 पृ0–17।

❑❑❑